तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2018	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के नाम जारी नोटिस पर आसामी फौत होने बाबत रिपोर्ट आई है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार रायपुर को निर्देश दिये जाते है कि वे मृतक के का0मु0 को पक्षकार संयोजित करते हुए समस्त दस्तावेजात् की पूर्ति कर नये सिरे से 15 दिवस के भीतर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति तहसीलदार रायपुर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली	